न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम मेघरास तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री संजय माथुर
(आर.ए.एस.)

संख्या : 43/2014 राजस्व वाद

उनवान

शरीफ खां पिता नवाब खां कायमखानी निवासी बेसकलाई तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
जैनुल पिता नवद्दीन खां कायमखानी निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

–– (वादीगण)

बनाम

कर खा पिता शौकत खां कायमखानी निवासी बेसकलाई तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

––(प्रतिवादी गण)

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात</u>

उपस्थित –
श्री कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता वादी)

<u>निर्णय</u>

दिनांक – 28.05.2016

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाद वादी अन्तर्गत 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए वादीगण की ओर से न्यायालय मे निवेदन किया की वादी तिवादी संख्या 1 के नाम ग्राम मेघरास प0ह0 मेघरास भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र उपरेडा तहसील की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 **खाता संख्या 263 की आ0न0 2095 रकबा 00–13** आराजियात स्थित हैं। जिसमे वादीगण व प्रतिवादी गण संख्या 1 का हिस्सा निहित हैं। ण शामलाती आराजियात होने से अपने हक हिस्से की आराजी का समुचित ढंग से विकास कर सकता हैं। प्रतिवादी गण बंटवारा कराने को सहमत नहीं हैं इसलिए वाद वादी स्वीकार ते हुये डिक्री से वादग्रस्त आराजियात मे से वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करते हुये मेट्स एण्ड बाऊण्ड से विभाजन करा एवं राजस्व रिकार्ड मे पृथक से वादीगण का नाम इन्द्राज करने की डिक्री पारित की जावे साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री भी पारित की

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया एवं वाद राजस्व लोक अदालत मे दिनांक 28.05.2016 को ग्राम मेघरास मे निस्तारण हेतु उभयपक्षों को नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता वादी श्री कृष्ण कुमार जीनगर द्वारा राजस्व लोक लत मे उपस्थित होकर प्रकरण के निस्तारण पर सहमति व्यक्त की। वाद पत्र आराजियात रा बाबत हैं एवं पक्षकारान प्रतिवादी बावजूद सूचना केम्प में अनुपस्थित रहे। लोक अदालत भावना को मध्य नजर रखते हुये वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री इस आशय जारी की जावे की ग्राम मेघरास को तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 **खाता 263 की आ0न0 2095 रकबा 00–13 बीघा** आराजियात का बहस वाद मे सुनी गई। वादी

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

के से विद्वान अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी के खातेदार होने से हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये व रिकॉर्ड मे खाता पृथक–पृथक से अंकन करते हुये बटंवारा किया जावे। इस हेतु मक डिक्री पारित की जाती हैं।

: : आदेश : :

दिनांक – 20.05.2016

वाद पत्र वादी प्रारम्भिक डिक्री किया जाता हैं कि ग्राम मेघरास प0ह0 मेघरास निरीक्षक क्षेत्र वृत उपरेडा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 **खाता संख्या की आ0न0 2095 रकबा 00–13 बीघा** मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के हक हिस्से सार विभाजन हेतु तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता हैं एवं आदेशित किया ा हैं कि वाद पत्र मे दर्ज आराजियात का बटंवारा किया जावे। राजस्थान काश्तकारी नियम के 21 की पालना करते हुये बाई मीट्स एण्ड बाऊण्ड विभाजन करते हुये विभाजन सूची मय ा ट्रेस तैयार कर न्यायालय मे प्रस्तुत करे। इसी अनुसार प्रारम्भिक डिक्री मुर्तिब हो। निर्णय । दिनांक 20.05.2016 को खुले न्यायालय राजस्व लोक अदालत केम्प मेघरास मे सुनाया गया।

(संजय माथुर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

महसूस होती है । इस लिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से अनुसार----

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत मुकाम निम्बाहेडाकंला तहसील बनेड़ा

: : मूल वाद मे प्रारम्भिक डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

अधिकारी – श्री संजय माथुर

(आर.ए.एस.)

संख्या : 43/2014 राजस्व वाद

उनवान

...क खां पिता नवाब खां कायमखानी निवासी बेसकलाई तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...ल पिता नवद्दीन खां कायमखानी निवासी मेघरास तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

–– (वादीगण)

बनाम

...खा पिता शौकत खां कायमखानी निवासी बेसकलाई तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...स्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

––(प्रतिवादी गण)

<u>इस्तदावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात</u>

...थत –

...ी कृष्ण कुमार जीनगर (अधिवक्ता वादी)

दिनांक– 28.05.2015

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी गण जारी की ... एवं तहसीलदार बनेड़ा को कमीश्नर नियुक्त करते हुए आदेशित किया जाता है कि ग्राम ... मेघरास भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र वृत उपरेडा तहसील बनेड़ा की जमाबंदी सम्वत 2070 से ...ता संख्या **263 की आ0न0 2095 रकबा 00–13 बीघा** मे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के ...नुसार राजस्थान काश्तकारी नियम 8–21 की पालना करते हुए विभाजन सूची तैयार कर ... सूची मय नक्शा ट्रेस न्यायालय में दिनांक   तक प्रस्तुत करें। खर्चा ... अपना–अपना वहन करेगें।

(संजय माथुर)

उपखण्ड अधिकारी,

बनेड़ा जिला भीलवाड़ा